

फर्द अहकाम

आलय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

या :- 251/2024

चौथी देवी बनाम कालूराम

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वारते आदेश दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड-अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	
11.2024	<p>पत्रावली वारते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।</p> <p>दावा स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड-अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	